भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2213

बुधवार, 04 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

राज्यों में ईओडीबी सर्वेक्षण

2213. डॉ. ए. चेल्लाकुमारः
श्री सी.पी. जोशीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व में 'व्यापार करने में सुगमता' (ईओडीबी) के संबंध में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है;

(ख) क्या सरकार ने व्यापार के माहौल को सुधारने के उद्देश्य से राज्यों में एक व्यापक ईओडीबी सर्वेक्षण आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यावसायिक नियमों को सरल बनाने के लिए केंन्द्र और राज्य स्तर पर कोई ऑनलाइन सिंगल विंडो आरंभ किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में व्यापार विनियामक वातावरण को बढ़ाने तथा ईओडीबी में देश की रैंकिंग में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): विश्व बैंक द्वारा 24 अक्टूबर, 2019 को जारी अद्यतन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में 190 देशों में भारत की रैंकिंग 63वें स्थान पर है। वर्ष 2014 से, भारत की रैंकिंग 142 से वर्ष 2019 में 63 हो गई है।

(ख): जी हाँ, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने दिसंबर, 2014 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक सुधार कार्यक्रम, राज्य सुधार कार्य योजना शुरू की है। इसका ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है।

(ग): उद्योग संवर्धन एंव आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार की गई राज्य सुधार कार्य योजना के अंतर्गत राज्यों तथा संघीय राज्यों के विभिन्न विभागों में निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक एकल खिड़की प्रणाली होना अपेक्षित है:

i. आवेदन की भौतिक प्रतियां प्रस्तुत करने की जरूरत के बिना आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देना।
ii. दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप से जाने की छूट

iii. ऑनलाइन आवेदन की यथास्थिति का पता लगाने के लिए आवेदक को अनुमति प्रदान करना

iv. जब आवेदन जमा किया गया हो और/अथवा इस संबंध में कोई प्रश्न उठाया गया हो और/अथवा अनुमोदित/निरस्त किया गया हो तो इसका एसएमएस/ई-मेल सूचना की प्राप्ति आवेदक को सुनिश्चित करना।

v. यह अनिवार्य किया जाए कि निवेशकों के आवेदन से संबंधित सभी प्रश्न/स्पष्टीकरणों का एक ही बार में तथा आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के अंदर पता लग जाना चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों/संघीय राज्यों की मूल्यांकन कवायद के अंतर्गत, 21 राज्यों/संघीय राज्यों ने ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली तैयार की और कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सुधार कार्य योजना, 2019 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित लाइसेंसों/एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों और उनकी संबद्ध अधिसूचनाओं का लिंक उपलब्ध कराने की सुविधा से लैस एक ऑनलाइन इन्फार्मेशन विजॉर्ड विकसित किए जाने की आवश्यकता है। सुधार क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण परमिट इनैबलर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्माण परमिट/एनओसी प्रदान किए जाने की समय-सीमा निर्धारित किए जाने तथा ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(घ): देश में व्यवसाय विनियामक वातावरण में सुधार लाने और इसके द्वारा विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए किए गए सुधारों का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 04.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2213 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>राज्यों में विनियामक सुधार- राज्य सुधार कार्य योजना (एसआरएपी)</u>

विभाग ने एक गतिशील सुधार अभ्यास की शुरुआत की, जो 2014 में देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नामित सुधार मानकों के कार्यान्वयन के आधार पर रैंक करने के लिए शुरू की गई थी।इस अभ्यास का उद्देश्य नियामक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने और निवेशक-अनुकूल व्यावसायिक माहौल तैयार कर एक अनुकूल व्यापारिक वातावरण बनाना है।

एक 98 सूत्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया और उसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया। इसके बाद,सितंबर, 2015 में "व्यापार सुधारों के राज्य कार्यान्वयन का आकलन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू सुधारों के निष्कर्षों को शामिल किया गया था। विश्व बैंक ने भी इस सुधार योजना में डीपीआईआईटीके साथ भागीदारी की और अभ्यास को गति देने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशोंके संबंधित विभागों को सुधारों के सार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ 18 संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

डीपीआईआईटी ने 2016 में, 340-पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया, जिसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया गया था, इसमें एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवनचक्र में फैले 10 सुधार क्षेत्रों में 58 नियामक प्रक्रियाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर सिफारिशें शामिल थीं।

डीपीआईआईटी ने समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम बनाने, कानून के माध्यम से एकल खिड़की एजेंसी की स्थापना के लिए व्यवसायों द्वारा आवश्यक सभी लाइसेंसिंग के लिए संपर्क के एक बिंदु के रूप में सेवा करने के लिए नीतिगत कदम उठाए और 10 श्रम अधिनियम, आदि के अंतर्गत संयुक्त निरीक्षण को अनिवार्य बनाया। निरीक्षणों को सुव्यवस्थित करने और इसके लिए 10 विभिन्न देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया गया। डीपीआईआईटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया है, जिसे http://eodb.dipp.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें लागू किए गए सभी सुधार सार्वजनिक रूप से देखने के लिए सुलभ हैं। पोर्टल डायनामिक रैंकिंग भी देता है, जो किसी भी सुधार बिंदु को अद्यतित करने के लिए मान्यता प्राप्त और स्वीकृत है।

31 अक्तूबर 2016 को 340 सूत्रों के कार्यान्वयन पर 48.93%, के राष्ट्रीय कार्यान्वयन औसत के साथ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की अंतिम रैंकिंग जारी की गई, जो 2015 के 32% राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी।

वर्ष 2016 के सुधार प्रक्रिया में देखा गया कि 12 राज्यों ने 90% से अधिक कार्यान्वयन स्कोर प्राप्त किये और 16 राज्य में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों शामिल हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करने, भुगतान और अनुमोदन के लिए कार्यक्षमता के साथ ऑनलाइन विंडो सिस्टम लागू किया, 15 राज्यों ने विवरण प्रदान करने के लिए एक जीआईएस प्रणाली विकसित की पूरे राज्य में औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के बारे में, 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2017-18 में, केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली, व्यापार लाइसेंस, विधिक माप पद्धति के अंतर्गत पंजीकरण और साझेदारी फर्म और सोसायटी के पंजीकरण जैसे परिवर्धन के साथ सुधार अभ्यास को 372 कार्रवाई बिंदुओं के लिए अद्यतन किया गया था।डीपीआईआईटी ने सुधार प्रक्रिया के लिए कई पहलें कीं जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- सुधारों को लागू करने की प्रासंगिकता और महत्व पर चर्चा करने के लिए 29 जुलाई, 2017 को एक राष्ट्रव्यापी कार्यशाला आयोजित की गई थी।पूरे दिन के सम्मेलन में 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।कार्यशाला में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण भी देखा गया।
- एक अनूठी समर्थन पद्धति शुरू की गई थी जिसमें अग्रणी राज्यों को पिछड़े राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ जोड़ा गया था।पश्चिम बंगाल द्वारा नागालैंड के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के प्रयास का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।
- पूर्वोत्तर केकम सुधार स्कोर वाले राज्यों और अन्य के लिए प्राथमिक सुधारों की पहचान की गई थी
- त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और कर्नाटक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संबोधित करने के लिए विश्व बैंक के साथ 8 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- सभी (8) उत्तर-पूर्वी राज्यों को समर्थन देने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई थी।

व्यापार सुधार कार्य योजना, 2017-18 का मूल्यांकन डीपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा 10 जुलाई, 2018 को संयुक्त रूप से जारी किया गया था। राज्यों की संबंधित स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

शीर्ष सफलता पाने वाले (95% से ऊपर)		**सफल (90-95%)**		**तेजी से आरंभ करने वाले (80 - 90%)**		**आकांक्षी (80% से कम)**	
श्रेणी	राज्य	श्रेणी	राज्य	श्रेणी	राज्य	श्रेणी	राज्य
1	आंध्र प्रदेश	10	पश्चिम बंगाल	16	हिमाचल प्रदेश	19	गोवा
		11	उत्तराखंड				
2	तेलंगाना	12	उत्तर प्रदेश	17	असम	20	पंजाब
3	हरियाणा	13	महाराष्ट्र	18	बिहार	21	केरल
4	झारखंड	14	ओडिशा			22	जम्मू एवं कश्मीर
5	गुजरात	15	तमिलनाडु			23	दिल्ली
6	छत्तीसगढ़					24	दमन एवंदीव
7	मध्यप्रदेश					25	त्रिपुरा
						26	दादरा और नागर हवेली
8	कर्नाटक						
9	राजस्थान					27	पुडुचेरी
						28	नागालैंड

29	चंडीगढ़
30	मिजोरम
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
32	मणिपुर
33	सिक्किम
34	अरुणाचल प्रदेश
34	लक्षद्वीप
34	मेघालय

इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं: -

- 19 राज्यों ने सभी स्वीकृतियों, लाइसेंस, पंजीकरण की समयसीमा, व्यवसाय/औद्योगिक इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया (पूर्व-स्थापना और पूर्व-संचालन) की जानकारी प्रदान करने वाला एक सूचना विज़ार्ड बनाया है।
- 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित किया है
- 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 45 दिनों के भीतर निर्माण की अनुमति प्रदान की है (30 दिनों में प्रदान की जाने वाली भवन योजना की मंजूरी/7 दिनों में पूरा किए जाने के लिए प्लिंथ स्तर का निरीक्षण, 8 दिनों में अंतिम अधिवास प्रमाण पत्रप्रदान किया गया)।तेलंगाना, असम और तमिलनाडु ने क्रमशः 29, 30 और 37 दिनों की छोटी समयसीमा को अनिवार्य कर दिया है।तमिलनाडु ने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का दावा किया है
- 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पूरे राज्य में औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए एक जीआईएस प्रणाली लागू की है
- 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को घटाकर केवल 2 कर दिया है
- 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने केंद्रीय संरचना ढांचे के अंतर्गत श्रम, कारखानों, बॉयलर विभागों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए गए सभी अनुपालनों का निरीक्षण किए हैं।
- 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने झारखंड, महाराष्ट्र, और गुजरात जैसे कुछ राज्यों के साथ एक ही लेन-देन में अदालती शुल्क और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान का विलय कर दिया है, यहां तक कि कोर्ट फीस अधिनियम से प्रक्रिया शुल्क भी समाप्त कर रहे हैं
- 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रदूषण की मंजूरी लेने से छूट प्राप्त श्वेत श्रेणी के उद्योगों की एक सूची अधिसूचित की है।

वर्ष 2017-18 में नए क्षेत्र विशिष्ट सुधारों को शामिल किया गया था, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई है, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली थोक दवा लाइसेंस और खुदरा दवा लाइसेंस (फार्मेसी), 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साझेदारी फर्मों और सोसायटी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सिस्टम और 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के अंतर्गत पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की है।

एसआरएपी 2017-18 के अंतर्गत कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त फीडबैक प्रक्रिया का समावेश किया गया, जिसमें वास्तविक उपयोगकर्ताओं से 78 सुधार बिंदुओं पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अर्थात वास्तुकार/वकील/नए और मौजूदा व्यवसाय और बिजली के ठेकेदार आदि प्रतिवादी डेटा उपलब्ध कराया गया है। सुधार योजना के कार्यान्वयन और विकास, व्यवसाय विनियामक वातावरण में सुधार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकांक्षा के अनुरूप विकसित करने में सफल रहे हैं।

राज्य सुधार कार्य योजना 2019-20

एसआरएपी 2019-20 के अंतर्गत मूल्यांकन केवल सेवा उपयोगकर्ताओं और उद्योगों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित है। मसौदा कार्य योजना को पूरी तरह से संशोधित किया गया है और इसमें एसआरएपी 2017-18 के 372 बिंदुओं में से 80 को शामिल किया गया है। कार्रवाई बिंदुओं का चयन राज्यों से प्राप्त 100% प्रतिक्रिया आधारित स्कोरिंग और टिप्पणियों पर विचार करते हुए किया गया था।

*****

अनुबंध-ख

दिनांक 04.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2213 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पाँच वर्षों में देश में कारोबारी माहौल को आसान बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख संकेतक वार सुधार निम्नानुसार हैं:

(क) व्यवसाय शुरू करना:

- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने मौजूदा एसपीआईसीई को प्रतिस्थापित करते हुए एक नए वेब फार्म एसपीआईसीई+ को अधिसूचित किया है। एसपीआईसीई+ निगमन, डीआईएन आवंटन, पैन और टैन को अनिवार्य रूप से जारी करने, ईपीएफओ और ईएसआईसी का अनिवार्य पंजीकरण, महाराष्ट्र में निगमित की जा रही कंपनियों के मामले में पेशेवर कर पंजीकरण जारी करना, कंपनी का बैंक खाता खोलना और जीएसटीएन आवंटित करने जैसी 10 सेवाएं प्रदान करेगा।
- कंपनी की मुहर, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं को हटाना और प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
- 15 लाख भारतीय रुपए तक की अधिकृत शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए निगमन शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
- भौतिक पैन कार्ड जारी करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, पैन और टैन का निगमन प्रमाण पत्र (सीओआई) में उल्लेख किया गया है जिसे पैन और टैन के लिए पर्याप्त प्रमाण माना जाता है।
- भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से तुरंत मुंबई दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

(ख) निर्माण परमिट से निपटना:

- एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करना, जिसने नई दिल्ली नगरपालिका और ग्रेटर मुंबई की नगर पालिका में एकल खिड़की प्रदान करके भवन निर्माण परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है।निर्माण की मंजूरी देने में शामिल सभी एजेंसियों को पोर्टल पर एकीकृत किया गया है और आवेदक को व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग एजेंसी में जाने की आवश्यकता नहीं है।

- आवेदक द्वारा कई लोगों से संम्पर्क/अंत:क्रिया को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण शुरू किया गया है।

- नई प्रणाली से निर्माण परमिट की प्रक्रियाओं की संख्या और समय में कमी आयी है।

(ग) बिजली प्राप्त करना:

- गैर-जरूरी प्रक्रियाओं की समाप्ति से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में कमी आयी है।इससे एक नए विद्युत कनेक्शन पाने में लगने वाले समय में भी कमी आई है।
- आवश्यक दस्तावेजों की संख्या (i) पहचान के प्रमाण, (ii) पते/स्वामित्व/ अधिवास का प्रमाण, और (iii) कानूनी कंपनी के लिए प्राधिकार के प्रमाण-पत्र तक सीमित है।
- इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए लोड आधारित अनुमान शुरू किया गया है।

(घ) ऋण प्राप्त करना:

- व्यापार परिसमापन के दौरान सुरक्षित लेनदारों को पहले भुगतान किया जाता है इसलिए श्रम और कर जैसे अन्य दावों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) कर का भुगतान:

- ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए योगदान का भुगतान ऑनलाइन किया गया था।
- पूरे देश के लिए केवल एक अप्रत्यक्ष कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से कई अप्रत्यक्ष करों को स्थानांतरित कर, करों का भुगतान करना आसान बना दिया गया है।केंद्रीय बिक्री कर, सेनवैट, राज्य वैट और सेवा कर सहित पिछले बिक्री करों को जीएसटी में मिला दिया गया है।इन करों के एकीकरण से करों का बहुआयामी प्रभाव कम हो जाएगा और आदानों पर भुगतान किए गए कर उच्च प्रतिशत तक विश्वसनीय हो जाएंगे।

- 250 करोड़ भारतीय रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफएस) पर प्रशासनिक शुल्क मार्च 2017 में मासिक वेतन के 0.85% से घटाकर 0.65% तक कर दिया गया है। कर्मचारियों के जमा लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) पर 0.01% का प्रशासनिक शुल्क हटा दिया गया है।

(च) सीमा पार व्यापार:

- कंटेनरों की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के कार्यान्वयन, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से निर्यात और आयात के लिए समय और लागत को कम किया गया है।
- आयात और निर्यात दोनों के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षणों में वृद्धि की गई है, जिससे केवल लगभग 5% वस्तुओं का भौतिक निरीक्षण किया जाता है।
- प्रवेश के एडवांस बिल को अपनाना जो आयातकों को जहाज के आने से पहले सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है।
- मुंबई में न्हावा शेवा पोर्ट पर 15 नए रबड़ टायर गैन्ट्री क्रेन को अपग्रेड करने के उपकरण। 2,400,000 टीईयू की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के साथ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में चौथे कंटेनर टर्मिनल का चरण-1 फरवरी 2018 में पूरा हुआ।

- नया कंटेनर टर्मिनल, अडानी सीएमएमुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड 1,300,000 टीईयूकी अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के साथ जून 2017 से पूरी तरह से चालू हो गया है।
- अप्रैल 2018 में लागू किया गया, ई-संचित सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड (स्विफ्ट) के अंतर्गत एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली है, जो व्यापारियों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सभी सहायक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

(छ) संविदा लागू करना

- जिला स्तर पर वाणिज्यिक अदालतों के आर्थिक संबंधी अधिकार क्षेत्र को 1 करोड़ से घटाकर 3 लाख करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया था।दिल्ली में 75 और मुंबई में 16 अदालतों को वाणिज्यिक अदालत के रूप में नामित किया गया था।
- कोर्ट प्रक्रियाओं के मामले में बेहतर नियंत्रण और पारदर्शिता की सुविधा प्रदान के लिए दिल्थिली और मुंबई में ई-कोर्ट प्रबंधन के उपकरण शुरू किए गए थे।ये उपकरण न्यायाधीशों और वकीलों को उपलब्ध कराए गए थे।

(ज) दिवालियापन का समाधान

- इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (आईबीसी) शुरु करने से कॉरपोरेट दिवालियापन को संभालने में एक प्रतिमान बदलाव आया है।यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि इसकी परिसंपत्ति के टुकड़े-टुकड़े की बिक्री के बजाय, व्यवहार्य इकाई को एक विषय माना जाए।
- आईबीसी ने कॉरपोरेट दिवालियापन का समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया की है, जिससे प्रक्रिया में देरी की संभावना सीमित हो गई है।

*****